।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 12/2023(मैन्यूअल) 2023/16 (GCMS)

अपीलांट

1. श्री लुकमान पुत्र बीजे खां जाति बनाम मुसलमान निवासी ग्राम छोड़ तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंट

1. श्रीमती उमत पत्नी अलाबख्स जाति मुसलमान निवासी ग्राम जावंधजूनी तहसील व जिला जैसलमेर।
2. श्री जमाल खां पुत्र अलाबक्श खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम जावंधजूनी तहसील व जिला जैसलमेर।
3. श्री अजीम खां पुत्र अलाबक्श खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम जावंधजूनी तहसील व जिला जैसलमेर।
4. श्री मीठे खां पुत्र अलाबक्श खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम जावंधजूनी तहसील व जिला जैसलमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ ।
6. पटवारी हल्का छोड़

उपस्थित

1. श्री मुरलीधर जोशी, (अधिवक्ता अपीलाण्ट)
2. श्री अब्दुल रहमान मेहर (अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4)
3. पैरोकार राज

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

निर्णय

दिनांक 20.08.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार फतेहगढ के आदेश क्रमांक 492 दिनांक 28.06.2016 के आधार पर ग्राम छोड़ के नामान्तरकरण संख्या 637 दिनांक 04.07.2016 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि आलोच्य अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार फतेहगढ के आदेश क्रमांक 492 दिनांक 28.06.2016 में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के निर्णय दिनांक 19.06.2014 के आधार पर पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ से उनके निर्णय दिनांक 19.06.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2020 से पूर्व सभी पत्रावलियां जिला कार्यालय के अभिलेख में जमा करा दी गई है। उक्त जानकारी पर जिला कार्यालय के अभिलेखागार से नकल प्राप्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला अभिलेखागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा चाही गई नकल वर्ष 2016 के जमा अभिलेख में जमा नही होना अवगत कराया। उक्त अनुसार स्पष्ट है कि आलोच्य नामान्तरकरण फर्जी आधार पर भरा गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि अपने परिवार के नाम उपहार कर दी गई है। आलोच्य नामान्तरकरण में वर्णित भूमि ग्राम छोड़ खसरा संख्या

जिला कलक्टर
जैसलमेर

।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 12/2023(मैन्यूअल) 2023/16 (GCMS)

355 रकबा 94–17 बीघा राजकीय सम्पति है जिसका आलोच्य नामान्तरकण विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। विवादग्रस्त भूमि बेशकीमती भूमि है तथा उक्त भूमि में गांव की मवेशी चरती है तथा आम रास्ता इसी भूमि के अंदर से है। विवादग्रस्त भूमि में वन विभाग द्वारा अपनी विभागीय योजना से पौधे भी लगाये गए है तथा लगाये गए पौधे वर्तमान में बड़े पेड़ है जिससे रेस्पोडेन्ट द्वारा काटने पर शिकायत तहसीलदार एवं वन विभाग को की गई परन्तु कोई कार्यवाही नही किए जाने से मजबूरन यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील समयावधि में शुमार किए जाने का निवेदन किया गया तथा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एवं नामान्तरकरण फर्जी आधार पर भरे जाने से निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपील के तर्क में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट प्राईवेट व्यक्ति है जिसका अपीलाधीन भूमि में कोई हित एवं अधिकार नही है, अपीलाधीन आदेश के संबंध में प्राईवेट व्यक्ति को अपील का विधिक अधिकार नही होने से अपील कानूनी बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2016 का है जिसकी अपील सात वर्ष बाद की गई है जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश भूमिधारी अर्थात तहसीलदार स्वंय के आदेश के क्रम में स्वीकृत किया गया है ऐसे में आलोच्य आदेश एवं नामान्तरकरण भूमिधारी के संज्ञान में है। जिसकी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा मनचाही क़ार्यवाही कानूनन करने का विधि में वर्णन नही है। अपीलाण्ट द्वारा अदावत व रंजिश से अपील प्रस्तुत की गई है, जो विधि विधान न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट पक्षकार नही है, बिना पक्षकार अपील किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपील करने के विधिक प्रावधान नही है। अतः अपील विधिक अधिकार नही होने से पोषनीय नही है, अपील प्रारम्भिक स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट अधिवक्ता के द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 04 से प्राप्त की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2024 एवं 25.01.2024 व अपीलाधीन नामान्तकरण की मूल पत्रावली के अवलोकन किये जाने पर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का विनिश्चय किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अपीलांट का आलोच्य आदेश में कोई हित नहीं है परन्तु अपीलांट द्वारा मिलीभगती कर राजकीय भूमि को अपने नाम से गलत तरीके से करवायी गयी है। चूँकि उक्त आलोच्य आदेश रेस्पोडेण्ट सख्या 04 का है, के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त की गयी रिपोर्ट अनुसार आदेश क्रमांक 492 दिनांक 31.05.2016 पटवारी फतेहगढ को प्रार्थना पत्र हुक्मसिंह पुत्र श्री खींवसिंह जाति राजपूत निवासी फतेहगढ बाबत खातेदारी भूमि ग्राम फतेहगढ खसरा संख्या 264/581 की भूमि सम्परिवर्तन के संबंध में पत्र प्रेषण पंजिका में दर्ज है, की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है । उक्त आलोच्य आदेश में विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में किये जाने के संबधं में पारित नहीं है, केवल मिलीभगत कर विवादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तकरण संख्या 637 के द्वारा भूमि प्राप्त की गयी है, जो विधि विरूद्व होने से आलोच्य आदेश के अनुसरण में खोला गया नामान्तकरण संख्या को अपास्त कर भूमि पुनः राजकीय सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त भूमि के संबधं में रेस्पोडेण्ट संख्या 04 तहसीलदार फतेहगढ के हित निहित है परन्तु उक्त भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

04 स्वंय के द्वारा ही खोला गया है ऐसी स्थिति में विधि विरूद्व की गयी कार्यवाही को निरस्त करवाये जाने हेतु अपीलांट के द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है जिसे स्वीकार फरमायी जाकर आलोच्य नामान्तकरण को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि अपीलाण्ट प्राईवेट व्यक्ति होने एवं विवादग्रस्त भूमि में उसका कोई अधिकार एवं हक निहित नही होने से अपील कानूनी बिन्दु पर खारिज योग्य है साथ ही अपील म्याद बाहर होने से भी खारिज होने का निवेदन करते हुए अपील सव्यय अपील खारिज करने का अनुतोष चाहा गया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन एवं आलोच्य आदेश के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा पत्रांक राजस्व/2024/108 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आदेश क्रमांक 492 दिनांक 31.05.2016 पटवारी फतेहगढ को प्रार्थना पत्र हुक्मसिंह पुत्र श्री खींवसिंह जाति राजपूत निवासी फतेहगढ बाबत खातेदारी भूमि ग्राम फतेहगढ खसरा संख्या 264/581 की भूमि सम्परिवर्तन के संबंध में पत्र प्रेषण पंजिका में दर्ज है। न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 637 ग्राम छोड़ जिस आधार पर खोला गया है, के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.06.2024 एवं आदेश क्रमांक 492 दिनांक 28.06.2016 की प्रति अपेक्षित की गई जिसके क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रांक राजस्व/2024/2131 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आदेश क्रमांक 492 दिनांक 31.05.2016 पटवारी फतेहगढ को प्रार्थना पत्र हुक्मसिंह पुत्र श्री खींवसिंह जाति राजपूत निवासी फतेहगढ बाबत खातेदारी भूमि ग्राम फतेहगढ खसरा संख्या 264/581 की भूमि सम्परिवर्तन के संबंध में पत्र प्रेषण पंजिका में दर्ज होने के संबंध में अवगत कराया गया तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.06.2014 की प्रति संबंधित न्यायालय से प्राप्त किए जाने हेतु निवेदन किया। उक्त विवेचित स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार फतेहगढ के आदेश क्रमांक 492 दिनांक 28.06.2016 एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के निर्णय दिनांक 19.06.2014 के द्वारा खोला गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 एवं 21.10.2024 के अनुसार आलोच्य आदेश क्रमांक 492 अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूमि सम्परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया है, विवादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण के संबंध में उक्त आदेश के द्वारा कोई निर्देश हल्का पटवारी को प्रदत्त नही किया जाना पाया गया है। न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.06.2014 की प्रति आलोच्य नामान्तरकरण के संलग्न उपलब्ध नही है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के द्वारा अपीलाण्ट को उसके आवेदन पर प्रतिलिपि के संबंध में अभिलेख जिला कार्यालय में जमा होने के संबंध में अवगत कराया गया है तथा जिला कार्यालय के द्वारा उक्त अभिलेख जमा नही होने के संबंध में अपीलाण्ट को उसके प्रतिलिपि आवेदन पर इस आश्य की रिपोर्ट अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट के द्वारा आलोच्य आदेश एवं

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

नामान्तरकरण के संबंध में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए है। अतः उक्त विवेचित स्थिति से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ के आदेश क्रमांक 492 दिनांक 28.06.2016 एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के निर्णय दिनांक 19.06.2014 को कूटरचित एवं मिथ्या आधार बनाया जाकर आलोच्य नामान्तरकरण खोला जाना पाया जाता है। अतः उक्त तथ्यों एवं विवेचित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि विवादग्रस्त भूमि आलोच्य नामान्तकरण से पूर्व राजकीय सिवायचक भूमि है तथा उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट का कोई हक एवं अधिकार प्राप्त होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार आदेश पारित नहीं किये गये है। उक्त विवेचित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा **अधीनस्थ न्यायालय के ग्राम छोड़ के नामान्तरकरण संख्या 637 एवं उक्त आधार पर खोले गये समस्त पश्चातवर्ती नामान्तकरणों को अपास्त किया जाता है** तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ विवादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड़ में पूर्वानुसार राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार तत्काल प्राप्त करें। तहसीलदार फतेहगढ को निर्देशित किया जाता है कि आलोच्य नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व दस्तावेज की जॉच एवं विधिवत रेकर्ड/नामान्तकरण पत्रावली का संधारण नहीं किये जाने के संबंध में संलिप्त राजस्व अधिकारी, जॉच अधिकारी एवं हल्का पटवारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करावें।

आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर